



2026:AHC:5655

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 42013 / 2025

विवेक सोनकर उर्फ निहाल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: दीपक कुमार त्रिपाठी

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति, अशुतोष श्रीवास्तव,

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अरिमर्दन यादव तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे प्रकरण अपराध संख्या 595 सन् 2025, धारा 3(1), 2(ख)(i) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना खलीलाबाद, जनपद संत कबीर नगर में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। गैंग-चार्ट में दर्शाए गए आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में दिया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि गैंग-चार्ट में उल्लिखित सभी मामलों में आवेदक को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक न तो किसी गिरोह का सदस्य, नेता या आयोजक है और न ही उसने अधिनियम की धारा 2(ख) में वर्णित किसी गिरोह की गतिविधियों में सहायता या उकसावा दिया है। उपर्युक्त प्रकरण के अतिरिक्त आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह भी कहा गया कि आवेदक के न्याय से फरार होने या साक्षियों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



03.06.2025 से कारागार में निरुद्ध है और उसने यह आश्वासन दिया है कि यदि जमानत दी जाती है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया कि न्यायालयों में मामलों के अत्यधिक लंबित होने के कारण विचारण शीघ्र समाप्त होने की संभावना नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 एस.सी.सी. 648** के निर्णय पर भी भरोसा किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया है कि अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना मात्र जमानत अस्वीकृत करने का आधार नहीं हो सकता।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. आवेदक की जमानत का प्रभावी रूप से विरोध नहीं कर सके और न ही गैंग-चार्ट में दर्शाए गए मामलों के अतिरिक्त कोई अन्य मामला आवेदक के विरुद्ध इंगित कर सके।

समस्त तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, न्यायालय यह पाता है कि यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला है। अतः वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि आवेदक **विवेक सोनकर उर्फ निहाल** को उपर्युक्त प्रकरण अपराध संख्या में, न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों को प्रभावित या भयभीत नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्न तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा— (i) वाद का उद्घाटन, (ii) आरोप निर्धारण, तथा (iii) बयान दर्ज करना।
- (iv) आवेदक यह प्रत्याभूति देगा कि जब साक्ष्य हेतु तिथि नियत हो और साक्षी उपस्थित हों, तब वह स्थगन की मांग नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर, स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निस्तारण तक सीमित है और इसे मामले के गुण-दोष पर अभिमत के रूप में नहीं लिया जाएगा। विचारण न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपना निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा और इस आदेश से प्रभावित नहीं होगा।

(अशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

दिनांक: 9 जनवरी, 2026

पी.के.एस.